फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम पीपलू

देशराज बनाम कमलेश्री वगै. .... किस्म मुकदमा

नं. 09 सन 2021

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
अतः वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। पत्रावली व प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया व प्रतिवादीगण की एक तरफा बहस सुनी गई। तामील रिपोर्ट के अनुसार भी प्रतिवादी संख्या 02, 04, 05, 15, 16, 21, 24 की मृत्यु हो चुकी है। अधिवक्ता वादी द्वारा तथ्य छिपाते हुए दिनांक 25.01.2021 को प्रकरण मे एकतरफा अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त करने के बाद से आज दिनांक तक भी प्रतिवादी की मृत्यु की सूचना न्यायालय को नही दी है, न ही कायम मुकाम का प्रा.पत्र प्रस्तुत किया है। मृत व्यक्तियो के विरुद्ध दावा विधि विरुद्ध होने से चलने योग्य नही है। स्पष्ट है कि अधिवक्ता वादी अपने दावे के प्रति गम्भीर नही है। अतः फौत हो चुके प्रतिवादीगण के ~~विरुद्ध~~ वारिसान को प्रतिवादी बनाने तथा सही पते का विवरण देते हुए नवीन वाद पेश करने की अनुमति देते हुए अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से कम हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टोंक)	

Scanned with CamScanner